DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant Professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutaina, Madhubani
Email-Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-2 Paper-3Date-22-08-2020

भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना-----

भारत जैसे जनतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।राजनीतिक दल सरकार की पूरक संस्था है, इसलिए उन्हें सरकार का चतुर्थ अंग कहा गया है।यही कारण है कि लोकतंत्रीय शासन को आज 'दलीय शासन'के नाम से पुकारा जाता है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त माना जाता है संसदीय और अध्याक्षात्मक दोनों ही शासन प्रणालियों के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। दलीय व्यवस्था के चलते कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सरलता से सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं।संसदीय व्यवस्था में विधानमण्डल में बहुमतवाले दल में से कार्यपालिका के सदस्यों का चयन होता है तथा विरोधी दल वैकल्पिक शासन के रूप में सत्तारूढ़ होने के लिए हमेशा तैयार रहता है।अध्याक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य सम्बन्ध दलीय माध्यम से ही सम्भव है।अमेरिकी राष्ट्रपति और सीनेट के मध्य सम्बन्ध दलीय व्यवस्था के चलते ही संभव होते है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि दलीय व्यवस्था ने अमेरिकी शासन प्रणाली की जटिलता को नष्ट कर दिया है।राजनीतिक दलों के महत्व एवं कार्य को हम निम्नलिखित तरीकों में रख सकते हैं---

*1.*प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए---आज के प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के विकास के कारण दलों की अनिवार्यता बढ़ गई है।प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है।लेकिन जब एक राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तब तक जनता को विश्वास नहीं हो सकता कि वह किसे अपना प्रतिनिधि चुने अथवा किसे नहीं। राजनीतिक दल अपने दल के उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा कर जनता को यह मौका देते हैं कि अपना योग्य प्रतिनिधि चुने।

*2.*मतदाताओं की निर्णय की शक्ति---यदि राजनीतिक दल नहीं रहे, तो मतदाता अपना मत बिना किसी सोच-विचार के किसी को भी दे देंगे।इसलिए फाइनर ने कहा है कि-"राजनीतिक दल अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप देते हैं।"डॉ०फाइनर के ही शब्दों में--दलों के अभाव में मतदाता या तो निपुसंक हो जाएँगें या विनाशकारी और ऐसी असभंव नितियों का अनुगमन करेंगे, जिससे राजनीतिक यंत्र ध्वस्त हो जाएगा।"प्रो०लावेल ने भी इस उक्ति का समर्थन किया है।

*3.*अदृश्य सरकार----राजनीतिक दलों को अदृश्य सरकार कहा गया है।मैकिवर के विचारानुसार राजनीतिक दलों से बना न तो सिद्धन्तों की संगति अभिव्यक्त हो सकती है और न नीतियों का उचित विकास ही और न नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के वैधानिक उपायों अथवा मान्य संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है।इस प्रकार प्रजातंत्र को व्यवहारिक रूप देने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व बड़ा जरूरी है।

*4.*सरकार के चतुर्थ अंग----राजनीतिक दलों को सरकार का चतुर्थ अंग स्वीकार किया गया है।इसके अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता।इसी सन्दर्भ में राजनितिक दलों को प्रजातंत्र का प्राण भी कहा गया है।

*5.*प्रजातंत्र में शिक्षा के साधन----राजनीतिक दल प्रजातंत्र में शिक्षा के साधन हैं।वे जनता को विभिन्न प्रकार से राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा सार्वजनिक प्रश्नों एवं समास्याओं के प्रति उन्हें जागरूक रखते हैं।ब्राइस ने कहा है कि-राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

*6.*राजनीतिक चेतना का विकास----राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक समास्याओं का ज्ञान कराते हैं इसलिए जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक स्वस्थ एवं चेतनशील वातावरण की आवश्यकता है।इसकी पूर्ति राजनीतिक दल ही कर सकते हैं।

*7.*जनमत का निर्माण-----राजनीतिक दलों का महत्व इस बात में भी निहित है कि इससे जनमत के निर्माण में भी सहायता मिलती है।ये जनमत का निर्माण तथा विकास करते हैं।मतदान एवं निर्वाचन के दौरान ये दल राज्य के नागरिकों को राजनीतिक साहित्य प्रदान करते हैं। प्रो.लॉस्की का कहना है कि---राजनीतिक दल बिखरे एवं अस्पष्ट विचारों को स्पष्ट एवं व्यवस्थित करते हैं तथा जनमत के निर्माण में योग देते है।सामाजिक जीवन की विभिन्न उलझी हुई समास्याओं को वे जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

*8.*राष्ट्रीय हित का विकास -----जिस देश में एक ही राजनीतिक दल रहता है, उसे देश के राष्ट्रीय स्वार्थ की पूर्ति का सही विश्लेषण नहीं हो पाता।बर्क ने कहा है कि--राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समुदाय होता है जो कुछ विशेष सिद्धन्तों के आधार पर, जिनसे वे सभी सहमत हो, राष्ट्रीय हित के विकास के लिए संयुक्त होते हैं।

उपर्युक्त कार्यों का विश्लेषण करते हुए प्रो.न्यूमैन ने कहा है कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल होते हैं जो दलीय सिद्धांतों का स्पष्टीकरण तथा व्यवस्थीकरण ही नहीं करते, वरन् प्रसारण भी करते हैं।वे जनता के सामने प्रत्येक विरोधी पहलू को रखते हैं क्योंकि वे सामाजिक हित समूहों के प्रतिनिधि होते हैं।राजनीतिक दलों के कारण ही संसद वाद विवाद का मंच बन जाता है।इससे उन नीतियों का स्पस्टीकरण होता है जिनपर सरकार को चलना चाहिए। संसदीय मंच पर होने वाला वाद विवाद एक प्रकार का निर्वाचन अभियान भी होता है तो शासन की वैकल्पिक नीति के पक्षों में जनता को शिक्षित करता रहता है साथ ही साथ राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य भी स्थापित करते हैं।संसदीय शासन प्रणाली में दलीय अनुशासन के फलस्वरूप व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में अभिन्न सम्बन्ध बना रहता है।जहाँ तक अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रश्न है, दलों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शासन के विभिन्न अंगों की पूर्ण पृथकता को दलव्यवस्था से ही दूर किया जा सकता है।

आगे, धन्यवाद।

2020-08-22
© From vivo Notes

Scanned with CamScanner